फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल कंसारा पुत्र स्व. श्री उदयलालजी नि. देवगढ़ – मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 43/2023**

कमांक	**कार्यवाही विवरण**	**हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई**
	दिनांक 04.09.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक एफ.1()सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/551–553 दि, 21.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर कार्यालय भू–अभिलेख अनुभाग, राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 380–81 दिनांक 31.05.2023 से संबंधित अनुभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित की जाकर डाक प्रेषित की गई। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, जिला राजसमन्द के पत्रांक 4618–19 दिनांक 14.06.23 से अवगत कराया कि उक्त आवेदन में इप्सित सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार देवगढ को पत्र प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से जरिये पत्रांक सू0अ0,05/22/2023/97 दिनांक 21.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना शुन्य हैं। शेष बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की वांछित सूचना की प्रति/प्रतियॉ तहसील हाजा में उपलब्ध नही हैं। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से जरिये पत्रांक सू0अ0,05/22/2023/97	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिनांक 21.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना शुन्य हैं। शेष बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की वांछित सूचना की प्रति/प्रतियॉ तहसील हाजा में उपलब्ध नही हैं। तहसीलदार देवगढ का उक्त कथन सही नही है, नामान्तरकरण संबंधी समस्त कार्यवाही तहसील स्तर से सम्पादित होती है अतः तहसीलदार देवगढ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन कर नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध क़राना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)